ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
ई–मेल / E-mail : registrar.mgahv@gmail.com

क्रमांक : 34/2022(15.10.2022)/मेस में बने भोजन के संबंध में /01/807
दिनांक : 26.10.2022

परिपत्र

विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों में वर्तमान मेस व्यवस्था (देसी ढ़ाबा) को बंद कर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित तीन स्थानों पर दिनांक 01.11.2022 से मेस की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है–

(i)	संतुष्टि मेस	:	भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास तथा राजगुरु छात्रावास के अंतेवासियों हेतु
(ii)	सावित्रिबाई फुले छात्रावास मेस	:	सावित्रिबाई फुले छात्रावास के अंतेवासियों हेतु
(iii)	छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास मेस	:	छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास तथा बिरसा मुण्डा छात्रावास के अंतेवासियों हेतु

उपरोक्त मेस व्यवस्था के लिए **केंद्रीय मेस संचालन समिति** का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1.	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट, प्रतिकुलपति	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	सदस्य
3.	कुलानुशासक	सदस्य
4.	मुख्य छात्रावास अधीक्षक	सदस्य
5.	सभी छात्रावासों के अधीक्षक	सदस्य
6.	सहायक कुलसचिव, परिसर विकास	सदस्य सचिव

संतुष्टि मेस संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1. भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास तथा राजगुरु छात्रावास के समस्त अधीक्षक
2. भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास तथा राजगुरु छात्रावास के समस्त केयरटेकर
3. भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास तथा राजगुरु छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 9 विद्यार्थी **(क्रियान्वयन समिति)** (क्रियान्वयन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)
4. भगत सिंह छात्रावास, सुखदेव छात्रावास तथा राजगुरु छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 9 विद्यार्थी **(मूल्यांकन समिति)** (मूल्यांकन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)

सावित्रिबाई फुले छात्रावास मेस संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1. सावित्रिबाई फुले छात्रावास के समस्त अधीक्षक
2. सावित्रिबाई फुले छात्रावास के समस्त केयरटेकर
3. सावित्रिबाई फुले छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 6 विद्यार्थी **(क्रियान्वयन समिति)** (क्रियान्वयन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)
4. सावित्रिबाई फुले छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 6 विद्यार्थी **(मूल्यांकन समिति)** (मूल्यांकन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)

छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास मेस संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

1. छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास तथा बिरसा मुण्डा छात्रावास के समस्त अधीक्षक
2. छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास तथा बिरसा मुण्डा छात्रावास के समस्त केयरटेकर
3. छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास तथा बिरसा मुण्डा छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 8 विद्यार्थी **(क्रियान्वयन समिति)** (क्रियान्वयन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)

4. छत्रपति संभाजी महाराज छात्रावास तथा बिरसा मुण्डा छात्रावास के अधीक्षकों तथा अंतेवासियों के सहमति से नामित 8 विद्यार्थी **(मूल्यांकन समिति)** (मूल्यांकन समिति प्रत्येक माह कक्ष क्रमानुसार परिवर्तित होगी)

मेस का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा–

1. प्रत्येक मेस में कर्मी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।
2. प्रत्येक मेस उपरोक्त संबंधित मेस संचालन समिति द्वारा संचालित होगी तथा आय–व्यय का विस्तृत विवरण प्रत्येक माह केंद्रीय मेस संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
3. सब्जी, राशन एवं सिलेंडर की आपूर्ति संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा तथा मेस संचालन समिति के निर्णयानुसार रसोईगृह तक सुनिश्चित कराई जायेगी।
4. अंतेवासियों को मेस में भोजन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगी–
   (i) अंतेवासियों को निर्धारित शुल्क जमा कर प्रत्येक माह का टोकन (नाश्ता, दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन हेतु) संबंधित मेस कार्यालय से प्राप्त करना होगा। यह टोकन अंतेवासियों द्वारा अग्रिम भुगतान कर 10 दिनों/20 दिनों/30 दिनों के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। 30 दिनों का टोकन लेने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
   (ii) मेस में टोकन जमा करने के पश्चात् ही नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा रात्रि भोजन के लिए थाली प्राप्त की जा सकेगी।
   (iii) यदि किसी अंतेवासी को भोजन नहीं लेना है अथवा बाहर जाना है उस स्थिति में न्यूनतम एक दिन पूर्व (24 घंटे पूर्व) मेस संचालन समिति/वार्डन को लिखित में सूचित किया जाना होगा तथा उक्त दिनों का टोकन संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा जिसे अगले माह में समायोजित किया जा सके। किसी एक समय (नाश्ता अथवा भोजन) के लिए छूट का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
   (iv) टोकन का वितरण एवं विद्यार्थियों से टोकन की राशि प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित मेस संचालन समिति/वार्डन की होगी।
   (v) मेस का मेन्यू मेस संचालन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
   (vi) अंतेवासियों द्वारा प्राप्त टोकन अहस्तांतरणीय होंगे।
5. भविष्य में अन्य छात्रावासों में भी आवश्यकतानुसार मेस की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से जारी किया जा रहा है।

(विनोद वैद्य)
कार्यकारी कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ (ई–मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
5. कुलानुशासक कार्यालय
6. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक
8. समस्त छात्रावास के सूचनापट्ट
9. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/कार्यालय
10. प्रभारी लीला, (विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।)

...2/2...